No. N-38021/1/2013-FM
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
'A' Wing, Shatri Bhawan,
New Delhi-110015

New Delhi, the 28th January, 2013

ADVISORY

It has come to the notice of the Ministry of Information and Broadcasting that despite signing of Grant of Permission Agreement (GOPA), which prohibits broadcast of objectionable, obscene, unauthorized matter inconsistent with the laws of India and despite the recent Advisory dated 15th October, 2012; objectionable content are sometimes broadcast on private FM Radio Channels. It has been noticed that the language used by many Radio Jockeys is sometimes indecent, offensive and aggressive. Comments on current affairs and news that are meant to bypass the provisions of the GOPA are also being made by some stations.

It has also been brought to the notice of MIB that some FM operators are making unsolicited calls to members of the public and disturbing their privacy by way of aggressive comments and conversation which are being broadcast without the prior knowledge and consent of these individuals.

Such acts of making prank calls, which violate the privacy of individuals cannot be permitted since these violate the programme code and the advertisement code prescribed in the GOPA.

The recent sad death of a nurse of Indian origin in a London hospital allegedly because of a prank call from an Australian FM station; underscores the importance of curbing such unsolicited verbal pursuit of private individuals by FM channels since these can have tragic and unforeseen consequences. All private FM Broadcasters are aware of Clause 11.2 of GOPA which

provides that the permission holder should follow the same programme and advertisement code as followed by All India Radio.

All private FM channels should adhere to all the clauses, specially Clause 7.6 and 11.2 of GOPA in letter and spirit failing which they will under themselves liable for taking action as per the relevant clauses of GOPA.

(C.S. Kaushik)
Deputy Secretary (FM)

All Private FM Radio Channels

Copy to:-

Shri Uday Chawla, Secretary General,
Association of Radio Organizations of India (AROI),
C-1759, 1st Floor, Palam Vihar, Gurgaon-122017.
(Fax-0124-4385887)
(With the request to issue necessary instruction to all private FM Channels and a copy of such instructions may be endorsed to the Ministry).

Copy also forwarded to:

Director(BC)

सं. एन-38021/1/2013-एफएम
भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110015

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2013

एडवाइजरी

सूचना और प्रसारण मंत्रालय को जानकारी मिली है कि आपत्तिजनक, अश्लील और अनधिकृत विषय-वस्तु, जो भारत के कानून के अनुसार असंगत हों, का प्रसारण प्रतिषिद्ध करने वाले अनुमति स्वीकृति करार (गोपा) पर हस्ताक्षर करने और हाल ही में जारी की गई दिनांक 15 अक्तूबर, 2012 की एडवाइजरी के बावजूद, कभी-कभी निजी एफएम रेडियो चैनलों पर आपत्तिजनक विषय-वस्तु का प्रसारण किया जाता है। देखा गया है कि कई रेडियो जोकियों की भाषा कभी-कभी अश्लील, अपमानजनक और आहत करने वाली होती है। समसामयिकी और समाचारों से संबंधित विषय वस्तुएं जिन्हें गोपा के प्रावधानों से बाहर रखा गया है भी कई स्टेशनों द्वारा टिप्पणी के साथ प्रसारित की जाती है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय को यह भी जानकारी मिली है कि कुछ एफएम आपरेटर आम-लोगों को अकारण फोन करते हैं और अपमानजनक टिप्पणियों के साथ उनसे वार्तालाप करके उनके स्वत्व में खलल डालते हैं, और इसका प्रसारण इन व्यक्तियों की जानकारी और सहमति के बगैर किया जाता है।

व्यक्तियों के निजत्व में अनधिकृत हस्तक्षेप करने वाले ऐसे प्रैंक कालों की अनुमति कदापि नहीं दी जा सकती है क्योंकि ऐसा करना गोपा में विनिर्धारित कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का उल्लंघन है।

लंदन स्थित एक अस्पताल में भारतीय मूल की एक नर्स की हाल ही में दुखद मृत्यु हुई थी जिसके लिए आस्ट्रेलियाई एफएम स्टेशन से किए गए एक प्रैंक कॉल को कारण माना गया था; यह तथ्य एफएम चैनलों द्वारा निजी व्यक्तियों का इस प्रकार अकारण मौखिक वार्ता के माध्यम से पीछा किए जाने को रोके जाने के महत्व को रेखांकित करता है क्योंकि ऐसी घटनाओं का दुखद और अप्रत्याशित परिणाम हो सकता

है। सभी निजी एफएम प्रसारकों को गोपा के खण्ड 11.2 से अवगत कराया गया है जिसमें व्यवस्था है कि अनुमति धारक उसी कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का अनुपालन करेंगे जिसका अनुपालन आकाशवाणी द्वारा किया जाता है।

सभी निजी एफएम चैनलों को गोपा के सभी खण्डों, विशेष रूप से खण्ड 7.6 का शब्दश: अनुपालन करना चाहिए अन्यथा उनके संबंध में गोपा के संबंधित खण्डों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

(सी.एस.कौशिक)
उप सचिव (एफएम)

सभी निजी एफएम रेडियो चैनल

प्रतिलिपि:-

श्री उदय चावला, सेक्रेटरी जनरल,
एसोसिएशन ऑफ रेडियो आर्गनाइजेसंस ऑफ इंडिया (एआरओआई),
सी-1759, फस्ट फ्लोर, पालम विहार, गुडगांव-122017
(फैक्स-0124-4385887)
(इस अनुरोध के साथ कि सभी निजी एफएम चैनलों को आवश्यक अनुदेश जारी करें और ऐसे अनुदेशों की एक प्रति इस मंत्रालय को भेजें।

प्रतिलिपि प्रेषित:
निदेशक (बीसी)